राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा/2023/ दिनांकः

समस्त निदेशक, प्राचार्य/प्राचार्या,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः– महाविद्यालय में सत्र 2023–24 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के पोर्टल पर पंजीकरण एवं भरे गये परीक्षा फॉर्मो को विश्वविद्यालय जमा कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांकः परीक्षा/2023/4806 दिनांक 08.12.2023, पत्रांक परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2024 /1239 दिनांक 02.12.2023 व क्रमांकः परीक्षा/2023/5146 दिनांक 19.12.2023 की निरन्तरता में लेख है कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का विश्वविद्यालय में ऑनलाईन प्रमाणीकरण के पश्चात् निम्नलिखित शैक्षणिक/अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा होंगेः–

1. ऑनलाईन प्रमाणीकरण पश्चात् वेबसाइट www.univraj.org से कम्प्यूटर जनरेटेड सूची के क्रमानुसार परीक्षा आवेदन पत्र व्यवस्थित कर भिजवायें।
2. 10वी. एवं 12वी. की अंकतालिकाओं की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति,
3. राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12वी. परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने पर माईग्रेशन की मूल प्रति,
4. दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रति,
5. 12वी. परीक्षा 2021–22 में उत्तीर्ण छात्रों से अन्तराल प्रमाण पत्र (दिव्यांग/महिलाओं को छोडकर)
6. एबीसी आई.डी. पत्र यदि छात्र ने संलग्न किया हो,

अतः आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म आवश्यक रूप से दिनांक 02 जनवरी, 2024 तक नामांकन शाखा (कमरा नम्बर–118) में जमा कराना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन प्रमाणित परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नोटः– **छात्रों के परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करते समय विद्यार्थियों द्वारा सतत् मूल्यांकन (मिडटर्म परीक्षा) में (सी–ग्रेड) न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक व न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की सुनिश्चितता आवश्यक रूप से की जावे।**

Sd
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2024/1279–1283 दिनांकः 26/12/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को मुख्य समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
3. समस्त उप कुलसचिव (नामांकन/गोपनीय/डिग्री/सैलर–I एवं II/विविध), रा.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी (नामांकन/गोपनीय/डिग्री/सैलर–I,II/विविध), रा.वि.वि. जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।

उप कुलसचिव (परीक्षा)